प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

31 अक्तूबर 2023

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – सितंबर 2023

सितंबर 2023[1] महीने के लिए 40 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 93 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण[2] में सितंबर 2023[3] में 15.3 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 16.9 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण[3] के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

- कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण संवृद्धि एक वर्ष पहले के 13.4 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2023 में 16.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई।
- उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण सितंबर 2022 के 12.6 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2023 में 6.5 प्रतिशत बढ़ा। प्रमुख उद्योगों में, 'मूल धातु और धातु उत्पाद', 'खाद्य प्रसंस्करण' एवं 'कपड़ा' हेतु प्रदत्त ऋण संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) सितंबर 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ी, जबकि 'सभी इंजीनियरिंग', 'रसायन और रासायनिक उत्पाद', एवं 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' की ऋण संवृद्धि में गिरावट आई।
- सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में सितंबर 2023 में 21.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पहले 20.2 प्रतिशत थी, जिसमें 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)' और 'व्यापार' का प्रमुख योगदान रहा।
- आवास हेतु प्रदत्त ऋण की वृद्धि में कमी की वजह से, सितंबर 2023 (एक वर्ष पहले 19.4 प्रतिशत) में वैयक्तिक ऋण की वृद्धि घटकर 18.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रह गई।

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1209

[1] आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

[2] खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा – 42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।

[3] किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।